



फार्म III {स्कीम-III के पैरा 3 के उप-पैरा (5) को देखें}
Form III {Refer Sub-Para (5) of Para 3 of Scheme III}

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस
LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं. क्यूएम /L-6007960.1
Licence No. QM/L-6007960.1

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो
By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016), the
Bureau hereby grants/recertifies to

सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स
इंजीनियरिंग & टेक्नॉलजी
टीवीक इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिण्डी
चेन्ने- 600 032, तमिलनाडु, भारत

Central Institute of Petrochemicals
Engineering & Technology
TVK Industrial Estate, Guindy
Chennai – 600 032, Tamilnadu, India

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है) इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारीयों के रजिस्टर(रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान/नवीकरण करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा IS/ISO 9001:2015 के अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताए गए पते (पत्तों) पर निर्मित/प्रदत्त/प्रचालित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address(es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with IS/ISO 9001:2015.

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबंध में प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत/पुनः प्रमाणित किया गया और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is granted/recertified subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

3. यह लाइसेंस 22 दिसम्बर 2022 से 24 अक्टूबर 2025 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 22 December 2022 to 24 October 2025 and may be recertified as prescribed in the Regulations.

2023 के जनवरी माह के 13 दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित।

Signed, Sealed and Dated this 13th day of January 2023

3/1/23

यु. एस. पी. यादव

वैज्ञानिक एफ और उप महानिदेशक (दक्षिणी क्षेत्र)

कृते भारतीय मानक ब्यूरो

(U. S. P. YADAV)

Sc 'F' & Deputy Director General (Southern Region)
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

यु. एस. पी. यादव / U. S. P. YADAV

उप महानिदेशक (दक्षिण) / Deputy Director General (South)

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय, चौथा क्रॉस रोड, सी आई टी कैंपस,
तरमणी, चेन्ने / Taramani, Chennai - 600 113.

